

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।


नगर निगम, देहरादून द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु नगर निगम के कार्यालयों, विभिन्न पार्कों को डेकोरेटिव लाईटें, बॉर्डर लाईटों से सजाने हेतु सिंगल बिड निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com एवं नगर निगम के विद्युत अनुभाग से दिनांक 24.09.2021 से 11.10.2021 तक प्राप्त की जा सकती है। जो कमेटी के समक्ष दिनांक 12.10.2021 को प्रातः 11:00 बजे खोली जायेगी। निविदा राशि वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम देहरादून के नाम जमा करानी होगी।			
कार्य का विवरण	निविदा राशि	निविदा विक्रय करने की तिथि	दिनांक डालने एवं खोलने की तिथि
15 अगस्त, 26 जनवरी, राज्य स्थापना दिवस के सुअवसर पर नगर निगम के भवनों पार्कों आदि को डेकोरेटिव व बॉर्डर लाईटों से सजाने के सम्बन्ध में।	1000.00 जी०एस०टी० 18 प्रतिशत अतिरिक्त	24.09.2021 से 11.10.2021 दोपहर 1:00 बजे तक	12.10.2021 दोपहर 2:00 तक 12.10.21 को प्रातः 11:00 बजे खोली जायेगी
नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून			

पत्रांक :- 220/9/21 न०नि०दे०दून०/2021/22

दिनांक:- 23/09/21

प्रतिलिपि:-


1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्पादक ~~द.स.द.स.द.स.~~ संस्करण कृपया निविदा को अपने अगले अंक में प्रकाशित कर बिल एवं समाचार पत्र की तीन प्रतियां 48 sqcm में प्रकाशित करते हुए नियमानुसार छूट के साथ बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. श्री मनोष पन्त आई०टी० ऑफिसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना निविदा वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com एवं नगर निगम देहरादून की वेबसाइट में डालना सूनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम कार्यालय पर चस्पा करने हेतु।


नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

डेकोरेटिव लाईटों की तकनीकी शर्तें

नगर निगम, देहरादून
मार्ग प्रकाश अनुभाग

1. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य का ड्राफ्ट रू0 1000.00 एवं जी0एस0टी0 18 प्रतिशत वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के नाम देनी अनिवार्य होगी। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. फर्म का टर्न ओवर रू0 पांच लाख दो वर्षों का देना अनिवार्य होगा।
3. पेन नम्बर व जी0एस0टी0 का रजिस्ट्रेशन नम्बर देना अनिवार्य होगा।
4. समान कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।
5. सभी प्रकार की डेकोरेटिव लाईटें ट्यूब लाईट, मिनीचर बल्ब, कलर चेंज लाईटें व बल्ब, बॉर्डर लाईटें एल0ई0डी0 ही लगानी होगी।
6. राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त यदि शासन द्वारा कोई लाईटों से सम्बन्धित आदेश आता है तो मौखिक आदेश पर कार्य करना होगा।
7. न्यूनतम निविदादाता को अपनी निविदा में दी गयी दरों पर एक वर्ष तक कार्य करना होगा।
8. किसी भी व समस्त निविदा को निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को होगा।


10/9/21
अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून।